फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

चम्पा देवी   बनाम   रूपो वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 149/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
15/06/2021	प्रार्थीनी की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीनी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीनी की खातेदारी की भूमि मौजा क्रमशःमदो की ढाणी,रतेऊ,पटाली नाडी, पटवार मण्डल रतेऊ एवं मौजा कसुम्बला सरदारसिह पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान तहसील गिडा में आई हुई है। प्रार्थीनी वकील के कथनानुसार प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में विप्रार्थीगण सख्या 1 से 3 व 5 से 16 दखलअन्दाजी कारित करने कब्जे से बेदखल करने पर आमदा है तथा विवादित भुमि का हस्तान्तरण बेचान इत्यादि करने पर उतारू है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीनी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 व 5 से 16 को आगामी पेशी तारीख 19/07/2021 ..... तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा मदो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर क्रमाशः 893/549, 895/559 ,540 , 896/559,रकबा क्रमश :2.5090 , 5.1018 , 7.9966 , 8. 2960 हैक्टेयर व मौजा रतेऊ खसरा नम्बर क्रमशः 69 , 816/69 , 817/69 रकबा क्रमशः 2.9704 , 5.9408 , 2.9704 हैक्टैयर तथा मौजा पटाली नाडी पटवार मण्डल रतेऊ तहसील गिडा के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 911/22 , 914/22 , 22 , 910/22 ,912/22 ,रकबा क्रमशः 0. 0162 , 7.3764 , 7.3764 , 0.0243 , 17.3529 हैक्टैयर मे तथा कसुम्बला सरदारसिह पटवार हल्का कसुम्बला भाटियान की भूमि में विप्रार्थीगण सख्या 1 से 3 व 5 से 16 किसी प्रकार की दखल–अदांजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करे। न ही बेचान व हस्तान्तरण करे प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि मे किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे व न ही [illegible] काश्त मे कोई बाधा पैदा नही करे । वर्तमान [illegible] बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थी सख्या 1 से 3 व 5 से 16 पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी [illegible] दिनांक 19/07/2021 को पेश हों। [signature] 15/6/2021 सहायक [illegible] (SDO)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:06:31 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें, श्रीमान

19/07/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण के नोटिस तामील हुक्म तामील खिलाफ / श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 30/08/2021 को पेश हो / ह

30/08/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगणों के नोटिस तामील हुक्म तामील खिलाफ / प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना की फोटो कॉपी (स्थगन व कायम मुकाम रोक) पर लेने का प्रार्थना-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया / श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 01/12/2021 को पेश हो / ह

21/10/2021 प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब की गई, प्रार्थी का मूल वाद जरिये विड्रॉल खारिज हो चुका है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है अत: प्रार्थी [illegible] इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर [illegible] कोमल कुमार होकर दर्ज नम्बर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

मुकाबाम

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:06:31 IST
Reason: SelfAttested